न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/81/2019

1– श्रीमति रामश्री वेवा रामसिंह } जाति गूजर निवासी सेउपुरा मजरा सहायपुर
2– मोहनसिंह पुत्र रामसिंह } तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– गिर्राजी पत्नि मोहन जाति कोली निवासी कोड्यापुरा तहसील बयाना ।
2– मोहन पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाटव निवासी सेउपुरा तहसील बयाना

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बयाना बाबत मुकदमा उनवानी रामश्री बनाम गिर्राजी अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0

निर्णय **दिनांक 12.02.2020**

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि एक दावा उनवानी रामश्री वगै0 बनाम गिर्राजी वगै0 उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में कराने हेतु अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी पर नेताओं द्वारा दबाव डलवा रहे हैं । प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में कई बार बैठे देखे गए हैं। उपखण्ड अधिकारी का रूख भी प्रतिवादीगण के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अप्रार्थीगण ने दिंनांक 03.10.2019 को ऐलानियां धमकी दी है कि उपखण्ड अधिकारी बयाना हमारी मर्जी के मुताविक फैसला करेंगे । इस कारण उपखण्ड अधिकारी बयाना से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में विचाराधीन दावा रामश्री वगै0 बनाम गिर्राजी वगै0 में अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी से साज करके प्रकरण का निस्तारण अपने हक में कराना चाहते हैं। उपखण्ड अधिकारी भी सरेआम प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं । इस कारण उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं। प्रकरण को येन केन प्रकारेण लम्बित करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण की उपखण्ड अधिकारी बयाना से कोई सांठगांठ नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को अनावश्यक लम्बित करने की नीयत से पेश किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना को प्रषित की जावे

निर्णय आज दिनांक 12–02–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: